

(30.04.2024 तक अद्यतन)

## पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

### ब्याज दरें (मार्च 20, 2024 से प्रभावी)

ऋणकर्ता ऋण/योजना/उत्पाद		राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ता/सीपीएसयू / जेवी			निजी क्षेत्र के ऋणकर्ता		
		श्रेणी 'क++	श्रेणी 'क+	श्रेणी 'क	श्रेणी आईआर-1	श्रेणी आईआर-2	श्रेणी आईआर-3
I. मासिक रेस्ट के आधार पर, 1 वर्ष के रीसेट के साथ							
क	उत्पादन परियोजनाएं	10.40	10.90	11.15	10.65	10.90	11.15
ख	उत्पादन परियोजनाएं - आर एंड एम एवं आर एंड यू	10.00	10.75	11.00	10.50	10.75	11.00
ग	संवितरण परियोजनाएं	--	10.25	10.75	10.25	10.75	11.00
घ	पारेषण परियोजनाएं (टीबीसीबी रूट परियोजनाओं सहित)	9.50	10.00	10.25	10.00	10.25	10.50
ड	प्रदूषण नियंत्रण उपकरण जैसे फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) आदि (नोट 4 को देखें )	9.50	10.00	10.25	9.75	10.00	10.25

च	गैर-पारंपरिक ऊर्जा - नवीकरणीय (पवन/सौर) (नोट 4 देखें)	8.95	9.45	9.70	9.20	9.45	9.70
II. मासिक रेस्ट के आधार पर							
छ	अल्पावधि ऋण (एसटीएल) और परिक्रामी बिल भुगतान सुविधा (आरबीपीएफ)				नोट 8 देखें		
	(क) 6 महीने तक की अवधि (90 दिनों के रीसेट के साथ)	8.75	9.00	9.25			
	(ख) अवधि > 6 महीने से 12 महीने तक (90 दिनों के रीसेट के साथ)	9.00	9.25	9.50			
ज	3 वर्ष तक की अवधि के लिए मध्यम अवधि के ऋण (एमटीएल) (नोट 4 देखें)	9.50	10.00	10.25	--		

**टिप्पणी:**

**प्रयोज्यता:**

◆ उपरोक्त ब्याज दरें 20 मार्च, 2023 से सभी संवितरणों पर लागू होंगी।

**1**

◆ आरटीएल/एमटीएल के लिए केवल 1 वर्ष का रीसेट विकल्प उपलब्ध है, जिनके दस्तावेज़ 26 दिसंबर, 2022 को/उसके बाद निष्पादित किए जाते हैं।  
 ◆ त्रैमासिक दरें उपरोक्त दरों से निकाली जानी हैं और इन्हें पूर्णांकित किया जाना है (अनुलग्नक-बी देखें)। इसके अलावा, 3 साल के रीसेट के लिए ब्याज दरें 25 बीपीएस अधिक होंगी।

## ऋणकर्ता श्रेणियाँ और दरें:

◆ राज्य क्षेत्र की श्रेणियां 'ए++', 'ए+', 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' और निजी क्षेत्र की श्रेणियां आईआर-1 से आईआर-5 पीएफसी की आंतरिक वर्गीकरण पद्धति पर आधारित हैं।

2

◆ राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं/जेबी/सीपीएसयू श्रेणी 'बी', 'सी' और 'डी' के लिए ब्याज दरें श्रेणी 'ए' ऋणकर्ताओं पर लागू ब्याज दरों की तुलना में क्रमशः 25 बीपीएस, 50 बीपीएस और 75 बीपीएस अधिक होंगी।

◆ निजी क्षेत्र श्रेणी आईआर-4 और आईआर-5 ऋणकर्ताओं के लिए ब्याज दरें श्रेणी आईआर-3 ऋणकर्ताओं पर लागू ब्याज दरों की तुलना में क्रमशः 25 बीपीएस और 50 बीपीएस अधिक होंगी।

◆ 'एएए' रेटेड राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के लिए ब्याज दरें राज्य क्षेत्र श्रेणी 'ए++' पर लागू दरों के समान होंगी।

◆ सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं (पहचाने गए सीपीएसयू और एएए रेटेड के अलावा) के लिए ब्याज दरें राज्य क्षेत्र श्रेणी 'ए' पर लागू दरों के समान होंगी।

## 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी प्रतिबंधों पर निम्नलिखित लागू हैं:

3

◆ सभी ऋणों के लिए (एसटीएल, आरबीपीएफ, एमटीएल और नीचे 5(i) के लिए ऋण को छोड़कर), सुरक्षा के रूप में सरकारी गारंटी प्रदान करने और आरबीआई बैकस्टॉप व्यवस्था के माध्यम से भुगतान सुरक्षा के लिए त्रिपक्षीय समझौते (टीपीए) में प्रवेश करने के लिए क्रमशः 25 बीपीएस और 50 बीपीएस छूट की अनुमति दी जाएगी; अधिकतम 50 बीपीएस की छूट के अधीन। हालाँकि, उक्त छूट एमटीएल (3 वर्ष से अधिक की अवधि) के लिए उपलब्ध है, जिनके दस्तावेज़ 26 दिसंबर, 2022 को/उसके बाद निष्पादित किए गए हैं।

◆ पारंपरिक उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 6 महीने के संतोषजनक वाणिज्यिक संचालन के बाद 25 बीपीएस की पोस्ट सीओडी छूट की अनुमति दी जाएगी। निजी क्षेत्र के मामले में, बाहरी रेटिंग (निवेश ग्रेड) को सीओडी के 1 वर्ष के भीतर और उसके बाद दिशानिर्देशों के अनुसार हर साल जमा करना होगा ताकि लगातार छूट कालाभ उठाया जा सके।

◆ यदि घरेलू सामग्री 75% या अधिक है, तो सभी सौर परियोजनाओं के लिए 10 बीपीएस की छूट दी जाएगी।

◆ निम्नलिखित चरण-2/श्रेणी 'डी' के रूप में वर्गीकृत ऋणकर्ताओं/ऋणों पर लागू होगा [सभी मौजूदा/भविष्य के ऋणों पर] :-

- 3(a) यदि किसी उधारकर्ता को आंतरिक वर्गीकरण पद्धति के अनुसार इंड-एएस / श्रेणी 'डी' के अनुसार स्टेज -2 श्रेणी में डाउनग्रेड किया जाता है, तो विशेष छूट, सीओडी छूट आदि जैसे छूट/छूट (समय पर भुगतान छूट के अलावा, जहां भी लागू हो) का लाभ मिलता है। ऐसे डाउनग्रेड की अवधि के लिए ऋण (जो डिफॉल्ट में हैं) उपलब्ध नहीं होंगे। इस तरह की छूट/छूट का लाभ स्टेज-2 और श्रेणी 'डी' से अपग्रेड की तारीख, जो भी बाद में हो, से प्रभावी रूप से संपूर्ण पात्र बकाया ऋण राशि पर फिर से दिया जाएगा। इसके अलावा, इस तरह की डाउनग्रेड की अवधि के लिए स्टेज-2 श्रेणी के ऋणों (जो डिफॉल्ट में हैं) की पूरी बकाया राशि पर 25 बीपीएस का अतिरिक्त ब्याज लगाया जाएगा।
- 4 ◆ प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की दरें केवल चालू थर्मल परियोजनाओं के लिए लागू हैं। अन्य मामलों में, उत्पादन परियोजना दरें लागू होंगी।
- ◆ नवीकरणीय परियोजनाओं - हाइड्रो (25 मेगावाट तक) / बायोमास / अपशिष्ट से ऊर्जा के लिए ब्याज दरें उपरोक्त बिंदु एफ पर संबंधित लागू नवीकरणीय ऊर्जा दरों की तुलना में 50 बीपीएस अधिक होंगी। 25 मेगावाट से अधिक की जलविद्युत परियोजनाओं के लिए, संबंधित उत्पादन श्रेणी दरें लागू हैं।
- ◆ 3 वर्ष से अधिक अवधि वाले एमटीएल के लिए, उपरोक्त संबंधित योजनाओं की लागू दरों की तुलना में ब्याज दरें 50 बीपीएस अधिक होंगी और 1 वर्ष के रीसेट क्लॉज के साथ होनी चाहिए।
- 5 पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) के लिए ब्याज दरें संबंधित लागू अक्षय ऊर्जा (सौर/पवन) परियोजनाओं की तुलना में 25 बीपीएस अधिक होंगी; और 6 महीने के

संतोषजनक वाणिज्यिक संचालन के बाद, इसे अक्षय ऊर्जा (सौर/पवन) परियोजनाओं के लिए लागू पोस्ट सीओडी दरों के साथ संरेखित किया जाएगा। निजी क्षेत्र के मामले में, छूट का लगातार लाभ उठाने के लिए बाहरी रेटिंग (निवेश ग्रेड) सीओडी के 1 वर्ष के भीतर और उसके बाद हर साल दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए।

6

अन्य ऋण उत्पादों पर लागू ब्याज दरें हैं:

	विवरण	लागू ब्याज दरें (मासिक रेस्ट के आधार पर, 1 वर्ष के रीसेट के साथ)
(i)	राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं/सीपीएसयू/जेवी के लिए बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में इलेक्ट्रो/हाइड्रो मैकेनिकल घटक (सरकारी गारंटी के साथ)	सभी ग्रेडों में पारंपरिक उत्पादन "ए+" दर
(ii)	कम्प्यूटरीकरण/अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता	उत्पादन परियोजनाएँ - आर एंड एम / आर एंड यू
(iii)	ट्रांसिशन वित्तपोषण	वितरण परियोजनाएँ + 75 बीपीएस
(iv)	क्रेताओं की ऋण व्यवस्था	संबंधित योजनाओं के लिए दरें
(v)	सभी ऋणकर्ताओं के लिए परियोजना विशिष्ट वित्तपोषण	गैर-पारंपरिक ऊर्जा + 50 बीपीएस
(vi)	उपकरण विनिर्माण (नवीकरणीय के अतिरिक्त)	जनरेशन प्रोजेक्ट्स + 50

(vii)	उपकरण विनिर्माण (नवीकरणीय)	बीपीएस गैर-पारंपरिक ऊर्जा + 50
(viii)	विनियामक परिसंपत्तियों के विरुद्ध वित्तपोषण	बीपीएस वितरण परियोजनाएँ + 190

- 7 सभी बकाया ऋणों के लिए जहां उधारकर्ता ने 5/10 साल के रीसेट का लाभ उठाया है, ऊपर से 3 साल की रीसेट दरें रीसेट के समय लागू होंगी। हालाँकि, रीसेट अवधि संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों के अनुसार जारी रहेगी।
- 8 A1, A2 और A3 बाहरी क्रेडिट रेटिंग वाले निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के लिए STL के लिए ब्याज दरें क्रमशः 9.90%, 10.40% और 10.90% होंगी।
- 9 त्रैमासिक विश्राम के लिए संबंधित दरों और प्रभावी वार्षिक ब्याज दरों के लिए, कृपया इस परिपत्र से जुड़े अनुबंध-ए को देखें।

**अनुलग्नक - क**

<b>प्रभावी ब्याज दरें</b>
<b>ब्याज दरें (20 मार्च, 2024 से प्रभावी)</b>

मासिक रेस्ट (%)	पर प्रभावी दर तिमाही रेस्ट (%) (राउंड ऑफ)	लागू वार्षिक दरें (%)
8.00	8.05	8.30
8.25	8.30	8.57
8.35	8.40	8.68
8.45	8.50	8.79
8.50	8.55	8.84
8.60	8.65	8.95
8.65	8.70	9.00
8.70	8.75	9.06
8.75	8.80	9.11
8.85	8.90	9.22
8.90	8.95	9.27
8.95	9.00	9.33
9.00	9.05	9.38
9.10	9.15	9.49
9.15	9.20	9.54

9.20	9.25	9.60
9.25	9.30	9.65
9.35	9.40	9.76
9.40	9.45	9.82
9.45	9.50	9.87
9.50	9.60	9.92
9.65	9.75	10.09
9.70	9.80	10.14
9.75	9.85	10.20
9.90	10.00	10.36
9.95	10.05	10.42
10.00	10.10	10.47
10.15	10.25	10.64
10.20	10.30	10.69
10.25	10.35	10.75
10.40	10.50	10.91
10.45	10.55	10.97
10.50	10.60	11.02
10.65	10.75	11.19



10.70	10.80	11.24
10.75	10.85	11.30
10.90	11.00	11.46
11.00	11.10	11.57
11.15	11.25	11.74
11.25	11.35	11.85
11.40	11.50	12.01
11.50	11.60	12.13
11.65	11.75	12.29
11.75	11.85	12.40
11.80	11.90	12.46
11.90	12.00	12.57
12.05	12.15	12.74
12.15	12.25	12.85
12.30	12.45	13.02
12.40	12.55	13.13
12.55	12.70	13.30
12.65	12.80	13.41
12.80	12.95	13.58



